

22.09.2023:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विपिन कुमार स्वामी द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता श्री विपिन कुमार स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरिक होकर राजीनाम हो गया। इसलिए वाद उक्त वादपत्र आगे नही चलाना चाहता। पत्रावली को आज ही पेशी मे लेकर वाद विद्व्रावल खारिज करने के आदेश फरमावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता श्री विपिन कुमार द्वारा द्वारा की गई। अतः उक्त वादपत्र वादीगण मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हों



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़